



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-84

दिनांक-10.01.2025

जोन- उत्तरी / अलीगंज लखनऊ

शराब पीकर लड़ाई-झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 01 अभियुक्त / अराजकतत्व को अलीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

### 01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.01.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत गल्ला मण्डी परिसर के अन्दर नवीन गल्लामण्डी थाना अलीगंज लखनऊ मे शराब पीकर आपस मे लड़ाई झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाला अभि0 संतोष जायसवाल पुत्र हंसराज जायसवाल नि0 538/1811 कंचनपुरम त्रिवेणीनगर-2 उम्र करीब 27 वर्ष को धारा-170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

अभि0गण उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### 02-अपराध का तरीका-

लड़ाई झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करना।

### 03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01-संतोष जायसवाल पुत्र हंसराज जायसवाल नि0 538/1811 कंचनपुरम त्रिवेणीनगर-2 उम्र करीब 27 वर्ष (फोन की दुकान पर काम करता है)

### 04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

1. म0उ0नि0 अनामिका सिंह चौहान थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. का0 जय सिंह थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
3. का0 रोहित चौधरी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-85

दिनांक- 10.01.2025

जोन- उत्तरी / अलीगंज लखनऊ

लड़ाई-झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभि0/ अराजकतत्वों को अलीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

### 01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.01.25 को थाना क्षेत्रान्तर्गत राजकीय उद्यान के पास सेक्टर जी थाना अलीगंज लखनऊ मे आपस मे लड़ाई झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्त/अराजकतत्वों-

- 01.आदर्श सिंह चौहान पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह नि0 ग्राम भौली थाना बीकेटी जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष
- 02.कुलदीप विश्वकर्मा पुत्र किशन पाल विश्वकर्मा नि0 ग्राम भौली थाना बीकेटी जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत समय 22.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभि0गण उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### 02-अपराध का तरीका-

लड़ाई झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करना।

### 03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.आदर्श सिंह चौहान पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह नि0 ग्राम भौली थाना बीकेटी जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष (स्वीगी मे काम करता है)
- 2.कुलदीप विश्वकर्मा पुत्र किशन पाल विश्वकर्मा नि0 ग्राम भौली थाना बीकेटी जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष (मजदूरी )

### 04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

1. 30नि0 श्री सिद्धार्थ जायसवाल थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. प्र030नि0 श्री वेद प्रकाश सिंह थाना अलीगंज जनपद लखनऊ



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-83

दिनांक-10.01.2025

### मा0 न्यायालय, श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय)

- लखनऊ के अन्तर्गत थाना-काकोरी, मड़ियाँव, पारा व इन्दिरानगर क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्या:-161(117)/2024, 187(124)/2024, 193(130)/2024, 311(189)/2024, 318(196)/2024 व 329(207)/2024 से सम्बन्धित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुए विपक्षीगण को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय में विपक्षीगण के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षीगण को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र० सं०	वाद सं०	नाम पता विपक्षीगण	आपराधिक इतिहास				जिला बदर की अवधि
				क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	
काकोरी	1	161(117)/2024	दीपक उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र सुखराज निवासी ग्राम चकपरेवा थाना काकोरी, लखनऊ	1	624/2021	279/337/504/352 भा०द०वि० व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट	काकोरी	06 माह
				2	134/2022	323/504/325 भा०द०वि०	काकोरी	
				3	152/2023	341/323/504/506 भा०द०वि०	काकोरी	
				4	222/2023	411/414 भा०द०वि०	पारा	
मड़ियाँ व	2	187(124)/2024	पंकज गुप्ता उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र शिवनन्दन गुप्ता निवासी 537र/22 निकट	1	05/2020	147/323/324/325 भा०द०वि०	मड़ियाँव	06 माह
				2	248/2020	323/504/506 भा०द०वि०	अलीगंज	

			सीताराम मंदिर फैजुल्लागंज, थाना मड़ियाँव, लखनऊ	3	521/2023	336/427/286/120 बी भा0द0वि0 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908	मड़ियाँव	
पारा	3	193(130)/2024	शैलेन्द्र गौतम उर्फ राजा उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र सूरजभान निवासी ग्राम सलेमपुर पतौरा थाना पारा, लखनऊ	1	177/2018	324/504/506 भा0द0वि0	पारा	06 माह
				2	510/2022	323/504/506/332/ 353/427 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट	पारा	
				3	63/2023	147/307 भा0द0वि0 व 07 सीएलए एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट	पारा	
इन्दिरान गर	4	311(189)/2024	विशाल यादव उर्फ धर्म सिंह उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र वीरेन्द्र यादव निवासी ग्राम जरहरा थाना इन्दिरानगर लखनऊ	1	09/2023	147/148/149/307/ 379/427/323/325/ 504/506 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट एवं 3(2)5एससी/एसटी एक्ट	इन्दिरानगर	06 माह
				2	286/2023	3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986	इन्दिरानगर	
				3	76/2024	147/148/323/504/ 506 भा0द0वि0	इन्दिरानगर	
मड़ियाँ व	5	318(196)/2024	संकेत वर्मा उर्फ अनिल वर्मा उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र राजाराम वर्मा उर्फ शिवराज सिंह निवासी प्लॉट नं0 49 प्रीतीनगर रहीमनगर	1	251/2015	147/148/149/307/ 452 भा0द0वि0	मड़ियाँव	
				2	537/2015	307/504 भा0द0वि0	मड़ियाँव	
				3	357/2016	213/323/504/506 भा0द0वि0	मड़ियाँव	
				4	931/2017	323/504/506 भा0द0वि0	मड़ियाँव	
				5	932/2017	394/341/506/427/ 411 भा0द0वि0	मड़ियाँव	

			डुडौली केशवनगर थाना मड़ियाँव, लखनऊ	6	156/2019	147/148/323/504/ 506/452/427 भा0द0वि0	अलीगंज	06 माह
				7	750/2019	386/507 भा0द0वि0	चिनहट	
				8	877/2019	120बी भा0द0वि0	मड़ियाँव	
				9	558/2022	279/323/504/506 भा0द0वि0	मड़ियाँव	
पारा	6	329(207)/2024	अमरजीत उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र स्व0 रामनारायण निवासी ग्राम पारा थाना पारा, लखनऊ	1	575/2019	323/427/504/506 भा0द0वि0	पारा	06 माह
				2	562/2020	147/323/341/504/ 506 भा0द0वि0	पारा	
				3	564/2020	147/323/341/427 भा0द0वि0	पारा	
				4	239/2021	323/427/504/506 भा0द0वि0	पारा	



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0-87

दिनांक:-10-01-2025

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट, थाना इटौंजा से सम्बन्धित 01 आरोपी को 03 वर्ष के कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

### संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक इटौंजा के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 संजीव कुमार यादव के द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान ए0एस0जे0 पंचम लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 11.12.24 सम्बन्धित वाद सं0-149/98 मु.अ.सं.-240/97 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना इटौंजा लखनऊ सम्बन्धित अभियुक्त -

**01-गोविन्द पासी** पुत्र नन्हकू पासी निवासी ग्राम भड़सर थाना इटौंजा लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।

### नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

1. गोविन्द पासी पुत्र नन्हकू पासी निवासी ग्राम भड़सर थाना इटौंजा लखनऊ

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

<u>क्र.सं.</u>	<u>मु.अ.सं.</u>	<u>धारा</u>	<u>थाना</u>
1.	240/97	2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट	इटौंजा

